REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234916 CG-DL-E-06042022-234916

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1571] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2022/चैत्र 16, 1944 No. 1571] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2022/CHAITRA 16, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1643(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 3 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी – उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

2449 GI/2022

4. उल्लंघन के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
एथिलीन विनाइल	आईएस13601 :	एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) कोपॉलीमर्स, खाद्य पदार्थों,
एसीटेट (ईवीए)	1993	फार्मास्यूटिकल्स और पीने के पानी के संपर्क में सुरक्षित उपयोग के
कोपॉलीमर्स		लिए - विशिष्टता

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1643(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2021, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) This order may be called the Ethylene Vinyl Acetate Copolymers (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 3^{rd} October, 2022.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority. - In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Copolymers	IS 13601 : 1993	Ethylene Vinyl Acetate (EVA) copolymers for its safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water - Specification

TABLE

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1644(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मालेइक एनहाइड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 24 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी – उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
मालेइक एनहाइड्राइड, तकनीकी	आईएस 5149: 2020	मालेइक एनहाइड्राइड, तकनीकी के लिए विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1644(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2020, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) This order may be called the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 24^{th} October, 2022.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority. - In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Maleic Anhydride, Technical	IS 5149:2020	Specification for Maleic Anhydride Technical

TABLE

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1645(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 24 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी – उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

4

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन)	आईएस 4105: 2020	स्टाइरीन (विनाइल बेंजीन) के लिए विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1645(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2020, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application. -(1) This order may be called the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 24^{th} October, 2022.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority. - In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Styrene (Vinyl Benzene)	IS 4105:2020	Specification for Styrene (Vinyl Benzene)

TABLE

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1646(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 24 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी – उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
एक्रिलोनिट्राइल	आईएस 12540: 1988	एक्रिलोनिट्राइल के लिए विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1646(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2020, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application. -(1) This order may be called the Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 24^{th} October, 2022.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority. - In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Acrylonitrile	IS 12540:1988	Specification for Acrylonitrile

TABLE	
-------	--

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1647(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पॉलिएथीलीन मैटेरियल फॉर मोल्डिंग एंड एक्सटूज़न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोल्डिंग और एक्सटॣज़न के लिए पॉलिएथीलीन सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 3 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी – उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएथीलीन मैटेरियल फॉर मोल्डिंग एंड एक्सट्रूज़न	आईएस 7328: 2020	पॉलिएथीलीन मैटेरियल फॉर मोल्डिंग
(i) कम घनत्व वाली पॉलीथीन (एलएलडीपीई)		एंड एक्सट्रूज़न का विनिर्देश
(ii) रैखिक कम घनत्व पॉलीथीन (एलएलडीपीई)		
(iii) उच्च घनत्व पॉलीथीन (एचडीपीई)		

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1647(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2021, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application. -(1) This order may be called the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 3^{rd} October, 2022.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority. - In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyethylene Material for Moulding and Extrusion	IS 7328:2020	Specification of
(i) Low Density Polyethylene (LDPE)		Polyethylene Material for Moulding and Extrusion
(ii) Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)		Woulding and Extrusion
(iii) High Density Polyethylene (HDPE)		

TABLE

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1648(अ).— केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लीनियर अल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लीनियर अल्काइल बेंजीन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 3 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी – उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
लीनियर अल्काइल बेंजीन	आईएस 12795: 2020	लीनियर अल्काइल बेंजीन- विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1648(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2021, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application. -(1) This order may be called the Linear Alkyl Benzene (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 3^{rd} October, 2022.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority. - In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Linear Alkyl Benzene	IS 12795:2020	Linear Alkyl Benzene - Specification

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1649(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 3 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी – उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति - कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

10

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न		टेक्सटाइल- पॉलिएस्टर कांटीनियुश फिलामेंट फुल्ली ड्रॉन यार्न - विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1649(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2021, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application. -(1) This order may be called the Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 3^{rd} October, 2022.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark. - Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority. - In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn (FDY)	IS 17261:2019	Textile - Polyester Continuous Filament Fully Drawn Yarn - Specification

TABLE

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1650(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 3 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.—नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी.—उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति.—कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (पीओवाई)	आईएस 17262: 2019	टेक्सटाइल- पॉलिएस्टर पारशियली ऑरिएंटेड यार्न (पीओवाई)- विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1650(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2021, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) This order may be called the Polyester Partially Oriented Yarn (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 3^{rd} October, 2022.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.—Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority.—In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention.—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Partially Oriented Yarn (POY)	IS 17262:2019	Textile – Polyester Partially Oriented Yarn (POY) - Specification

TABLE

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1651(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 3 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.—नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी.—उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति.—कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स (पीएसएफ)	आईएस 17263: 2019	टेक्सटाइल- पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर्स - विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1651(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2021, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) This order may be called the Polyester Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 3^{rd} October, 2022.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.—Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority.—In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention.—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Staple Fibres (PSF)	IS 17263: 2019	Textile - Polyester Staple Fibres - Specification

TABLE

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1652(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

- (2) यह 3 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।
- (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.—नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी.—उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति.—कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न (आईडीवाई)	आईएस 17264: 2019	टेक्सटाइल- पॉलिएस्टर इंडस्ट्रीयल यार्न - विनिर्देश

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1652(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2021, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) This order may be called the Polyester Industrial Yarn (Quality Control) Order, 2022.

- (2) It shall come into force on the 3^{rd} October, 2022.
- (3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.—Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column

(2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority.—In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention.—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Polyester Industrial Yarn (IDY)	IS 17264:2019	Textile - Polyester Industrial Yarn – Specification

TABLE

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1653(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड व्हाइट यार्न (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

- (2) यह 3 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।
- (3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.—नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी.—उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. उल्लंघन के लिए शास्ति.—कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम
(1)	(2)	(3)
100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे एंड	आईएस 17265: 2019	टेक्सटाइल- 100 परसेंट पॉलिएस्टर स्पन ग्रे
व्हाइट यार्न (पीएसवाई)		एंड व्हाइट यार्न - विनिर्देश

सारणी

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1653(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Order, 2021, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) This order may be called the 100 Percent Polyester Spun Grey and White Yarn (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 3^{rd} October, 2022.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.—Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority.—In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention.—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
100 per cent. Polyester Spun Grey and White Yarn (PSY)	IS 17265:2019	Textile - 100 per cent. Polyester Spun Grey and White Yarn - Specification

TABLE

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1654(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021, के अधिक्रमण में भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 है।

(2) यह 3 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।

(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु पर लागू होगा और निर्यात के लिए माल या वस्तु पर लागू नहीं होगा।

2. मानक के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.—नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में दिए गए भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी.—उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा। **4. उल्लंघन के लिए शास्ति.**—कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणा				
माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए नाम		
(1)	(2)	(3)		
सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स	आईएस 16481: 2016	टेक्सटाइल- सिंथेटिक माइक्रो-फाइबर फॉर यूज इन सीमेंट बेस्ड मैट्रिक्स - विनिर्देश		

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020-टेक.सीपीसी भाग-1]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1654(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act), and in supersession of the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Order, 2021, the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title, commencement and application.—(1) This order may be called the Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 3^{rd} October, 2022.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.—Goods or article specified in column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. Certification and enforcement authority.—In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

4. Penalty for contravention.—Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix	IS 16481:2016	Textile - Synthetic Micro-Fibres for use in Cement Based Matrix - Specification

TABLE

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC Pt-1]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

सारणी